इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 2018—कार्तिक 11, शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2018

पंजी. क्र. 4652-इक्कीस-ब-(एक).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (दस) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दस) सभी तरह की उपदान की राशि की अधिकतम सीमा बीस लाख रुपये होगी,".

Fl. No.4652-XXI-B(One).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Judicial Service (Revision of Pay, Pension and Other Retirement Benefits) Rules 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), for clause (x), the following clause shall be substituted namely:—

"(x) The maximum limit of all kinds of gratuity shall be Rs. 20 lakh.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.